महत्वपूर्ण निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

क्रमांक एफ-2-32/2015/सात-4, नया रायपुर, दिनांक 30/06/2015

प्रति,

- समस्त संभागायुक्त
  छत्तीसगढ़

- समस्त कलेक्टर्स,
  छत्तीसगढ़

विषयः-न्यायालयीन प्रकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवादी न बनाये जाने बाबत् ।

संदर्भः-सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7/5/2009/1-3, दिनांक 21 अक्टूॅबर, 2009 ।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संदर्भित पत्र में निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरण विशेष, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई राय या अभिलेख अलग से दिया हो, उन्हें छोड़कर सामान्य स्वरूप के नियम/निर्देश के अंतर्गत किसी अधिकारी या शासन के किसी विभाग के निर्णय या कृत्य के विरूद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों में यदि प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवादी बनाया गया हो तो संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी को विभाग के उत्तर में प्रतिवादियों की सूची में से प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का नाम हटाने का निवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष करना चाहिए ।

2/- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7/5/2009/1-3, दिनांक 21 अक्टूॅबर, 2009 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

संलग्नः-यथोपरि ।

30/6/15

[के. सी. वर्मा]
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

क्रमांक एफ 7/5/2009/1–3 रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– न्यायालयीन प्रकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवादी न बनाये जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 276/483/2002/1–3, दिनांक 11.7.2002.

उपरोक्त विषय पर पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी किए गए संदर्भित परिपत्र में यह सूचित किया गया था कि **सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाए गए नियम–निर्देश शासन के समस्त विभागों में कार्यरत शासकीय सेवकों पर लागू होते हैं, और उनके पालन का दायित्व विभागीय अधिकारियों का होता है,** शासन द्वारा बनाए गए नियम–निर्देशों के पालन में हुई किसी प्रकार की त्रुटि के लिए, यदि प्रशासनिक न्याधिकरण अथवा न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाता है तो, प्रायः उनमें सामान्य प्रशासन विभाग को भी प्रतिवादी बनाया जाता है, जो कि उचित प्रतीत नही होता है।

2/ अतएव संदर्भित परिपत्र द्वारा यह निवेदन किया गया था कि ऐसे प्रकरण विशेष, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई राय या अभिलेख अलग से दिया गया हो, उन्हें छोड़कर, सामान्य स्वरूप के नियम/निर्देश के अंतर्गत किसी अधिकारी *या* शासन के किसी विभाग के निर्णय *या* कृत्य के विरूद्ध दायर **न्यायालयीन प्रकरणों में यदि प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवादी बनाया गया हो तो संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी को विभाग के उत्तर में प्रतिवादियों की सूची में से प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का नाम हटाने का निवेदन मान. न्यायालय के समक्ष करना चाहिए।**

क्रमशः–2

3/ किन्तु यह देखा जा रहा है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन गम्भीरता पूर्वक नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त स्वरूप के न्यायालयीन प्रकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवादी बनाए जाने पर इस विभाग को भी प्रतिवादी के रूप में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से पत्र प्राप्त होते हैं एवं उसके अनुक्रम में इस विभाग द्वारा संबंधित विभाग को पत्र लिखकर निवेदन किया जाता है कि विभाग द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारी को निर्देश प्रदान किए जायें कि याचिका प्रकरण में सामान्य प्रशासन की ओर से भी प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जाए। स्पष्ट है कि संबंधित विभाग से ऐसे पत्र व्यवहार में इस विभाग का समय एवं श्रम अनावश्यक रूप से नष्ट होता है।

4/ अतः निर्देशानुसार पुनः निवेदन है कि इस विभाग के संदर्भित परिपत्र में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 7/5/2009/1–3 रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
2. शासकीय अधिवक्ता, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रायपुर बेन्च, रायपुर।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–6 की ओर वेबसाइट wwwcgnic.in/gad में अपलोड करने हेतु।

(एम.एम.मिंज)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग